कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 · कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs.2 · कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE Re.1

न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र.– /2011–12 निगरानी

R 1782-I/12

रामदयाल पुत्र मंशाराम जाति मीना निवासी ग्राम धीरोली हाल निवासी ग्राम जैदा तहसील व जिला श्योपुरकलां म.प्र.

..........आवेदक

बनाम

1. महिला छीता बाई बेवा मंशाराम मीना
2. विजय शंकर
3. रामराज
4. रामलखन

   सभी पुत्रगण स्व. मंशाराम मीना निवासी ग्राम मावदा तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.
5. महिला छोटी बाई पुत्री मंशाराम पत्नी बाबूलाल जाति मीना निवासी ग्राम छोटा खेड़ा तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.
6. महिला रामलेखा बाई पुत्री मंशाराम पत्नी रामरतन जाति मीना निवासी ग्राम विट्ठलपुर तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

..........अनावेदकगण

7. पटवारी मौजा मावदा तहसील व जिला श्योपुर

....तरतीव अनावेदक

श्री .... अभि. द्वारा आज दि. 19-6-12 को प्रस्तुत 19-6-12 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 5.20 P.m

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 24/12/2011 जानकारी दिनांक 15/5/2012 न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क्र. 75/2010–11 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

1. यह कि मंशाराम पुत्र जीवाराम जाति मीना निवासी ग्राम मावदा की मृत्यु होने पर आवेदक एवं अनावेदकगण की ओर से मृतक के प्रथम श्रेणी वैधानिक उत्तराधिकारी होना बतलाकर मंशाराम के स्थान पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये। दोनों ही पक्ष की ओर से प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पर प्रथक–प्रथक आपत्ती पत्र भी प्रस्तुत किये गये। जिसमें आवेदक के नामांतरण आवेदन पर आपत्ती में अनावेदकगण द्वारा उल्लेख किया कि मृतक मंशाराम का पुत्र नहीं है। मंशाराम के सौजन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि आवेदक की माँ फूलाबाई ने मंशाराम को छोड़कर रामनाथ निवासी ग्राम धीरोली के साथ दधीचा कर लिया था। इसलिये आवेदक वारिस नहीं है व मंशाराम की संपत्ति में रामदयाल का कोई हक नहीं है।

2. यह कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गई नामांतरण में आपत्ती पर यह स्पष्ट किया कि आवेदक की माँ फूलाबाई एकमात्र मंशाराम की वैध विवाहिता पत्नी है। मंशाराम

R-1782 II/12 इन्दौर

17.3.16.	आवेदक की ओर से [illegible] कोई उप० नहीं [illegible] आवेदक [illegible] उप० [illegible] प्रकरण दिनांक 22-6-12 को [illegible]

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
R [illegible]	है अतः स्पष्ट है कि आवेदक के प्रस्ताव के [illegible] कोई रास्ता नहीं दी जा सकती, प्रस्ताव [illegible] [illegible] को उपलब्ध है। [illegible] आदेश [illegible] जाता है। पक्षकार सूचित हों। [signature] [illegible]	